



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197]
No. 197]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 30, 1992/वैशाख 10, 1914
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 1992/VAISAKHA 10, 1914

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1992

सां. कां. निं. 449(अ):—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कांडला पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में कांडला पत्तन न्यास कर्मचारी गृह निर्माण अभियम, विशेष लाभ निधि योजना, 1992 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[अ. सं. पी० आर-12012/1/92-पी ई० 1]
प्रसोक जंशी, संयुक्त सचिव

कांडला पोर्ट ट्रस्ट

कांडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी गृह निर्माण अभियम विशेष कुटुम्ब लाभ निधि योजना, 1992

1. संक्षिप्त नाम तथा लागू होना :

(क) यह योजना कांडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी गृह निर्माण अभियम विशेष कुटुम्ब लाभ निधि योजना, 1992 कही जाएगी।

(ख) यह योजना कांडला पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड के उन सभी कर्मचारियों को लागू होगी जिन्होंने पोर्ट ट्रस्ट से गृह निर्माण अभियम पहले ही ले रखा है अथवा ले रहे हैं।

2. प्रारम्भ होना :

यह योजना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

3. परिभाषाएँ : इस योजना में, सिवाय कि जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) "अधिनियम" से महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 अभि-
प्रेत है।

- (ख) "बोर्ड" तथा "अध्यक्ष" का वही अर्थ होगा जैसा कि महा पत्तन न्याय अधिनियम, 1963 में है।
- (ग) "कर्मचारी" से कांडला पोर्ट ट्रस्ट में नियुक्त ऐसे अधिकारी/कर्मचारी/कामगार अभिप्रेत हैं जिन पर उक्त (1)(ख) के अधीन यह योजना लागू होती है।
- (घ) "निधि" से गृह निर्माण अधिम के लिए अनुमोचित देयता पूरी करने से संबंधित कांडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी गृह निर्माण अधिम विशेष कुटुम्ब लाभ निधि अभिप्रेत है।
- (ङ) "वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी" तथा विभाग प्रमुख से अर्थ: बोर्ड के वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी और विभाग प्रमुख अभिप्रेत होंगे।

4. योजना का उद्देश्य :

इस योजना का उद्देश्य है कि अगर किसी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो गृह निर्माण अधिम और साथ ही तत्संबंधी ब्याज के महत् अनुमोचित देयता पूरी करने के लिए निधि से सुप्रावधान किया जाए।

5. निधि का योगदान :

- (क) "कांडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी गृह निर्माण अधिम विशेष कुटुम्ब लाभ निधि" नामक एक निधि बनाई जाएगी जिसमें बोर्ड के ऐसे कर्मचारी मासिक अंशदान देंगे जिनकी बोर्ड से पहले ही गृह निर्माण अधिम के तहत देयता लेने से है।
- (ख) गांधीधाम स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से "कांडला पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी गृह निर्माण अधिम विशेष कुटुम्ब लाभ निधि" नामक एक खाता खोला जाएगा।

6. निधि में अंशदान :

- (क) जिन कर्मचारियों पर यह योजना लागू होती है वे सभी रु० 20 (दस रुपये) प्रतिमाह, प्रतिमाह, मासिक अंशदान देंगे और अधिष्ठाता के कारण उनकी सेवानिवृत्ति होने अथवा अन्यथा त्यागपत्र/समापन की तारीख तक अथवा गृह निर्माण अधिम साथ ही तत्संबंधी प्रादेशीय ब्याज की पुनर्प्रदायगी हो जाने तक, जो भी पहले हो, उसे ऐसा अंशदान प्रदा करना होगा। बाकि नये सदस्यों के अलावा उन जो उक्त तारीख का अंशदान उस महीने के ठीक बाद वाले महीने से प्रारम्भ होगा जिन महीने में उन्हें गृह निर्माण अधिम को पहली बार अदा की गई थी। अगर किसी माह के दौरान किसी भी कारणवश अंशदान की वसूली न की जा सके तो ऐसे देयों को पश्चात्पूर्ति वेतन बिल धरवा अन्य किसी शोधन देयों से वसूला जाएगा।
- (ख) बोर्ड इस योजना के प्रावधानों द्वारा शामिल कर्मचारियों की संख्या के आधार पर प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में कांडला पोर्ट ट्रस्ट कल्याण निधि से प्रति कर्मचारी रु० 10 (दस रुपये) प्रतिमाह अंशदान देगा और बोर्ड द्वारा उक्त वित्त वर्ष के लिए जो अधिष्ठ अथवा इस अंशदान किया गया हो उसे अगले अंशदान की तिथि से जमा राशि से समय पूरा किया जाएगा।

7. सेवा के दौरान मृत्यु हो जाने पर अदायगी :

अगर किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उनकी मृत्यु की तारीख तक गृह निर्माण अधिम की पुनर्प्रदायगी के महत् उन्हें देय भागी राशि अर्थात् मुख्य राशि तथा ब्याज को पूरी राशि की प्रतिपूर्ति पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड को कर दी जाएगी और योजना प्रारम्भ होने के समय किए गए अंशदान से उस कर्मचारी की मृत्यु के माह तक चालू रहे अंशदान द्वारा बनी निधि से उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

8. निधि का संचालन :

- (क) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी और कल्याण निधि का प्रबंध करने वाले विभाग प्रमुख द्वारा गठित समिति द्वारा यह निधि संचालित की जाएगी।
- (ख) यह निधि बिना सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी अथवा उनकी तरफ से प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी द्वारा संचालित की जाएगी।
- (ग) वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा निधि में उपलब्ध राशि का उन्नी प्रकार निवेश किया जाएगा जैसाकि अध्यक्ष महोदय द्वारा समय-समय पर निश्चित किया गया हो।
- (घ) वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी निधि से अदायगी से संबंधित मांगों पर कार्यवाही करेंगे और उसे समिति के गमक प्रस्तुत करेंगे।

9. लेखा तथा लेखा परीक्षा :

इस निधि का संचालन करने समय वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी अपने नियंत्रणाधीन किसी एक अधिकारी द्वारा लेखा तथा लेखा परीक्षा से संबंधित आवश्यक तहियों का बनाए रखे जाने की व्यवस्था करेंगे।

10. निर्बचन :

इस योजना के किसी भी प्रावधान के निर्बचन सहित निधि के संचालन से संबंधित सभी मामलों में अध्यक्ष महोदय का निर्णय ही अंतिम होगा।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April 1992

G.S.R. 449(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (ii) of section 124, read with sub-section (i) of section 132 of the Major Ports Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kandla Port Trust Employees House Building Advance, Special Family Benefit Fund Scheme, 1992 made by the Board of Trustees for the Port of Madras and set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[No. PR-12012/1/92-PE. I]

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

KANDLA PORT TRUST

KANDLA PORT TRUST EMPLOYEES' HOUSE BUILDING ADVANCE SPECIAL FAMILY BENEFIT FUND SCHEME 1992

1. Short title and application :

- (a) The scheme may be called "Kandla Port Trust Employees' House Building Advance Special Family Benefit Fund Scheme, 1992.
- (b) The scheme shall apply to all the employees of Kandla Port Trust Board who have already availed or avail the House Building Advance from the Port Trust.

2. Commencement :

The scheme shall take effect from the date of publication in the Gazette.

3. Definitions :

In this scheme, unless the context otherwise requires :

- (a) The 'Act' means the Major Port Trust Act, 1963.
- (b) 'Board' and 'Chairman' shall have the same meaning as in Major Port Trust Act, 1963.
- (c) 'Employee' means officer/employee/workers employed in Kandla Port Trust to whom the scheme applied under (1)(b) above.
- (d) 'Fund' means Kandla Port Trust Employees House Building Advance Special Family Benefit Fund for meeting the undischarged liability towards House Building Advance.
- (e) 'Financial Adviser' and 'Chief Accounts Officer' and 'the Head of Department' shall mean the Financial Adviser and Chief Accounts Officer and the Head of Department of the Board respectively.

4. Object of the Scheme :

The object of the scheme is to compensate from the fund the undischarged liability towards the HBA including interest thereon in the case of an employee who dies in harness while in service.

5. Contribution of the Fund :

- (a) A fund styled the "Kandla Port Trust Employees' House Building Advance Special Family Benefit Fund" shall be constituted with the contribution made monthly by the employees of the Board, who have already availed/avail the HBA and the Board.
- (b) An account called "Kandla Port Trust Employees' House Building Advance Special Family Benefit Fund" shall be opened in any Nationalised Bank at Gandhidham.

6. Contribution to the Fund :

- (a) Every employee to whom the scheme applies shall make a non-refundable subscription of Rs. 20 (Rupees twenty only) per month and such subscription should continue to be paid by him till the date of his retirement on superannuation or otherwise resignation/termination or till the repayment of the HBA together with interest accrued thereon, whichever is earlier. In respect of future entrants, subscription will commence from the month immediately following that in which the first instalment of House Building Advance is disbursed. If during any a month, recovery of subscription could not be made

for any reason, such dues will be recovered from the subsequent pay bill or any other settlement dues.

- (b) The Board shall make a contribution of Rs. 10 from Kandla Port Trust Welfare Fund (Rupees Ten only) per mensem, per employee at the beginning of each financial year on the basis of the strength of the employees covered by the provisions of the scheme, the excess or short contribution by the Board for that financial year being made good at the time of affording credit to the fund of the next contribution.

7. Payment in the event of death while in service :

In the case of an employee dying while in service, the entire amount due from his, i.e., the principal and interest towards repayment of HBA due thereon upto the date of his death, in full shall be reimbursed to the Port Trust Board by meeting the same from the Fund provided the subscription to the scheme has been commenced and continued till the month of his death.

8. Administration of the Fund :

- (a) The fund shall be administered by a committee consisting of the Chairman, Deputy Chairman, the Financial Adviser and Chief Accounts Officer and the head of department administering the Welfare Fund.
- (b) The fund shall be operated by the Financial Adviser and Chief Accounts Officer or an officer authorised by him on his behalf.
- (c) The investment of the amount available in the fund shall be made by the Financial Adviser and Chief Accounts Officer in such a way as may be decided by the Chairman from time to time.
- (d) The claims for payment from the fund shall be processed by the Financial Adviser and Chief Accounts Officer and put up to the committee.

9. Accounts and Audit :

The Financial Adviser and Chief Accounts Officer shall arrange to maintain the necessary books of the account and audit by one of the officers under his control in administering the Fund.

10. Interpretation :

The decision of the Chairman is final in all matters in the administration of the fund including interpretation of any of the provision of the scheme.

